प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर, 2020

विषय: आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित कानपुर नगर (चकेरी) एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन सिविल इन्क्लेव पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 800 के0वी0ए0 विद्युत संयोजन तथा एयरक्राफ्ट टैक्सी रूट के बगल से निकल रही 4 सर्किट हाई टेंशन लाइन को भूमिगत करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-385/आर0सी0एस0-2020/के-1/2018 दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित कानपुर नगर (चकेरी) एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन सिविल इन्क्लेव पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 800 के0वी0ए0 विद्युत संयोजन तथा एयरक्राफ्ट टैक्सी रूट के बगल से निकल रही 4 सर्किट हाई टेंशन लाइन को भूमिगत करने हेतु रू0 8,50,89,317/- (रुपया आठ करोड़ पचास लाख नवासी हजार तीन सौ सत्रह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारी कानपुर नगर के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित कानपुर नगर (चकेरी) एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन सिविल इन्क्लेव पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 800 के0वी0ए0 विद्युत संयोजन तथा एयरक्राफ्ट टैक्सी रूट के बगल से निकल रही 4 सर्किट हाई टेंशन लाइन को भूमिगत करने हेतु रू0 8,50,89,317/- (रुपया आठ करोड़ पचास लाख नवासी हजार तीन सौ सत्रह मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में उक्त धनराशि रू0 8,50,89,317/- (रुपया आठ करोड़ पचास लाख नवासी हजार तीन सौ सत्रह मात्र) को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(8) कार्य की विशिष्टियों मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जाएगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बनध में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 8,50,89,317/- (रुपया आठ करोड़ पचास लाख नवासी हजार तीन सौ सत्रह मात्र) आवंटित कर तत्काल जिलाधिकारी, कानपुर नगर के निर्वतन पर रखी जाएगी।

4- जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को शीघ्र सूचित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखाशीर्षक ''3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय'' से वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-1306/दस-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

पृ0सं0-89/2020/2262(1)/छप्पन-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3- आयुक्त, कानपुर।
4- जिलाधिकारी, कानपुर नगर ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, कानपुर ।
6- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4.
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।